Regarding the issues of Murakati Branch canal

श्री बिद्युत बरन महतो **(**जमशेदपुर**):** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सुवर्णरेखा परियोजना (SMP) के खरकई दाई मुख्य नहर से निःसृत मुराकाटी शाखा नहर के टनल के एकरारनामा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उक्त संबंध में वर्ष 2019 में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा फास्ट ट्रैक परफॉर्म क्लियरेंस (FTPC) के अन्तर्गत सुवर्णरेखा परियोजना के लिए 14,959.744 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें मुराकाटी शाखा नहर के निर्माण का प्रस्ताव सम्मिलित था। पूर्व में वर्ष 2010 में प्राइस लेवल पर परियोजना की कॉस्ट 6613.34 करोड़ रुपये के इनवैस्टमेंट क्लियरेंस प्राप्त कर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1/PMC/कार्य-996/2017?46/20-21 रांची, दिनांक 19.03.2021 द्वारा परियोजना को 12,849.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुराकाटी शाखा नहर के निर्माण कार्य को सुशुप्तावस्था में रखा गया। मुराकाटी शाखा नहर के कुछ भाग में तीन इकरारनामों के तहत इकरारनामा संख्या SBD-01/2019-20, SBD-02/2019-20 तथा SBD-03/2019-20 दिनांक 11.01.2020 के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने का इकरारनामा 11.01.2020 को किया गया था। उस समय राज्य सरकार द्वारा तीन टनल्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी । इकरारनामा होने के साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के उपरान्त दिनांक 17.05.2023 को तीन टनल के निर्माण कार्य को बन्द करा दिया गया है।

महोदय, उल्लेखनीय है कि मुराकाटी शाखा नहर से जादूगोड़ा, मुसाबनी एवं डुमरिया प्रखण्ड के करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जो मुख्यतः आदिवासी किसानों का है। गाजिया स्थित खरकई नदी पर वर्ष 2019-20 में रुपए 500 करोड़ की लागत से बैराज बनकर तैयार है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री बिद्युत बरन महतो **:** महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में यदि मुराकाटी शाखा नहर का निर्माण कार्य पूरा हो गया होता तो गरीब किसानों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो गई होती। विगत चार वर्षों से औपचारिक रूप से जल संसाधन विभाग, रांची द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सुवर्णरेखा परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है।

मैने दिनांक 12.09.2023 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली को टनल के तीनों इकरारनामों को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया था, परंतु 2,000 की अनुसूचित दर पर, टनल का निर्माण कार्य पूरा कर, इकरारनामा जीवित कर 2,000 की अनुसूचित दर पर पूरा करने का निर्णय किया गया था।

अत: महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मुराकाटी शाखा नहर के टनल के तीनों इकरारनामाओं को पुनर्जीवित करने हेतु झारखण्ड सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

माननीय सभापति **:** इतना विस्तार से बोलना अपेक्षित नहीं है।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री कुलदीप राय शर्मा जी।

? (व्यवधान)